जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 11.10.2024

एसओजी टीम एवं थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत एटीएम का ताला काटकर चोरी का प्रयास करने व अन्य चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटनाओं में लिप्त 01 बदमाश पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल व 03 अन्य साथी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई नगदी, जेवरात व अवैध हथियार मय जिन्दा व खोखा कारतूस एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त कार बरामदः-

दिनांक 30.08.2024 को ग्राम मारुखेड़ी थाना थाना भवन मे चोरी की घटना घटित करने एवं दिनांक 30.09.2024/01.10.2024 की रात्रि में PNB एटीएम क़स्बा थाना भवन मे ताला काटकर अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया था। घटनाओं के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन कर घटना के यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 10/11.10.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम एवं थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटनाओं में शामिल बदमाशों को नांगल पुलिया हसनपुर लुहारी के पास हुई पुलिस मुठभेड में शामिल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, पुलिस मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 बदमाश आशीष पुत्र राकेश निवासी सपूलिया थाना सिंधोली जनपद शाहजहांपुर घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गई नगदी, जेवरात व अवैध हथियार मय जिन्दा/खोखा कारतूस एवं चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त कार को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्य:-गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1.तन्मय शर्मा पुत्र स्व० सजीव कुमार निवासी तपोवन लक्ष्मण झूला मुनि की रेती जिला टिहरी गडवाल उत्तराखण्ड 2.अश्मित भण्डारी पुत्र विनोद बण्डारी निवासी उपरोक्त 3.अक्षय कुमार उर्फ गोयल राणा पुत्र रिनिपाल निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर 4.आशीष पुत्र राकेश निवासी सपुलिया थाना सिंधोली जिला शाहजहांपुर आपस में दोस्त हैं। तन्मय शर्मा का एक होटल है जिस पर आशीष काम करता है। अक्षय ने इस होटल को लीज पर ले रखा है जिसमें काफी घाटा हो गया था। घाटे की पूर्ति व अपने शौक पूरे करने के लिये हम चारों दोस्तों ने यूटयूब पर देखकर योजना बनाई कि गाडी से कहीं दूर शहर/कस्बे में जाकर बैंक व मकानो में चोरी करते हैं, दूर स्थान पर चोरी करने के कारण हम लोगों को कोई पकड भी नहीं पाएगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम लोगों ने योजनानुसार दिनांक 31/08/24 की रात्रि को गांव मारुखेडी में एक घर से सोने, चांदी के जेवरात चोरी किये थे। हमारे दोस्त अक्षय कुमार उर्फ गोयल राणा ने बताया कि उसने थानाभवन में एक एटीएम देख रखा है जिसमें काफी कैश रहता है, हम लोग उस एटीएम से कैश चोरी कर लेते हैं। योजनानुसार दिनांक 30.09.2024/01.10.2024 की रात्रि में हम चारों ने बुलेरो मैक्स गाड़ी से आकर कस्बा थानाभवन में पीएनबी बैंक के एटीएम के सटर का ताला तोड़कर कैश चोरी करने का प्रयास किया था लेकिन पडोस के लोगों के जाग जाने के

कारण हम वहां से भाग गये थे। पुन: दिनांक 04/10/24 की रात्रि में हम चारों ने मिलकर रायपुर देहरादून में स्टेट बैंक के एटीएम के ताले काटकर मशीन को क्षतिग्रस्त कर कैश ले जाने का प्रयास किया था लेकिन कैश नहीं ले जा पाये थे। आज भी हम लोग एटीएम से कैश चोरी करने आये थे।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.आशीष पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम सपोलिया थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

2.तन्मय शर्मा पुत्र संजीव कुमार निवासी तपोवन लक्ष्मण झूला थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड ।

3.अस्मित भंडारी पुत्र विनोद भंडारी निवासी तपोवन लक्ष्मण झूला थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड ।

4.अक्षय कुमार उर्फ गोयल राणा पुत्र रिशिपाल निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये गये आभूषण दो जोड़ी पायल, एक तगडी सफ़ेद धातु, एक अंगूठी पीली धातु।

2.चोरी की गई नगदी कुल 70,000/- रु0 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 323/24 थाना थानाभवन)

3.चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त बोलेरो रजि0नं0 UK-13TA-0347।

4.अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा/03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 11.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.09.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.छोटू कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम बूड़पुर थाना रमाला जनपद बागपत।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

आज दिनांक 11.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.जहीर पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला चन्दनपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व नगदी बरामदः-</u>

आज दिनांक 11.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हथछौया के जंगल से टयूबवैलो से चोरी व मौहल्ला ब्रहामनान में मंदिर के दान पात्र से चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 01 चोर को चोरी के सामान व नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 08.09.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हथछौया के जंगल से टयूबवैल से चोरी की घटना हुई थी तथा दिनाँक 10.10.2024 को मौहल्ला ब्रहामनान में मंदिर के दान पात्र से चोरी की घटना हुई थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.वासू पुत्र देवन्द्र निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.जला हुआ तांबे व एल्यूमिनियम का तार कुल वजन 950 ग्राम (टयूबवैलो से चोरी)।

2.नगदी 1310/- रुपये (मंदिर के दान पात्र से चोरी)।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 27.04.2024 की रात्रि में वादी श्री सरवर पुत्र मेहन्दा निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली मोटरसाइकिल लेकर कस्बा कैराना से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में रेवती इंटर कालेंज बुच्चाखेडी के पास ट्यूबैल पर खड़े 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर मोटर साइकिल को छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे ।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार लूट की घटनाओं में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोटर साइकिल लूट की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना में लिप्त अभियुक्त सन्नी, चिराग व पंकज को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.अंशुल उर्फ अंशु पुत्र प्रदीप वाल्मिकी हाल निवासी कुताना रोड थाना बडौत जनपद बागपत मूल निवासी ग्राम रोशनगढ थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-</u>

1. वर्ष 2019 में अभियुक्त अंकित पुत्र तिलक राम निवासी ग्राम अकबरपुर सुन्हैटी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 583/2019 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 411 भादवि में 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी है।

2. वर्ष 1999 में अभियुक्त हरपाल पुत्र रणवीर निवासी ग्राम डुढार थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 258/1999 धारा 452/323/149/325/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.10.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 452/323/149/325/504/506 भादवि में जेल में बितायी गयी अविधि व 2,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त उपरोक्त:-</u>

1.अंकित पुत्र तिलक राम निवासी ग्राम अकबरपुर सुन्हैटी थाना कैराना जनपद शामली।

2.हरपाल पुत्र रणवीर निवासी ग्राम डुढार थाना कांधला जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>